रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 172] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 20, 1971/भाद्र 29, 1893

No. 172] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 20, 1971/BHADRA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 20th September 1971

G.S.R. 1417.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that the recent floods in the State of Bihar were in the nature of a major calamity, hereby exempts cotton fabric (hereinafter referred to as the goods) and cotton yarn used in the manufacture of the goods donated to or purchased out of the cash donations for, the relief of the people affected by the said floods in the said State of Bihar from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(a) it is certified by the manufacturer of the goods on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated for the relief of the flood affected people in the said State of Bihar,

without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them and distributed free and without making any charge therefor,

(b) the goods are sent directly from the factory of manufacture to Bihar Congress Flood Relief Committee, Patna, or the Governor's Bihar Relief Committee, and

(c) the manufacturer produces, before the Central Excise Officer incharge of the factory within two months of the date of removal of the goods from the factory or such extended period as the Collector of Central Excise may allow, a certificate from the District Collector or Deputy Commissioner in the said State of Bihar that the goods have been distributed free and without making any charge therefore among the flood affected people in the said State of Bihar without discrimination on the grounds of religion, race or caste or any of them.

[No. 176/71.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1971

सा० का० नि० 1417 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर, कि बिहार राज्य में हाल की बाढ़ वृहत विपत्ति के रूप में थी, उक्त बिहार राज्य में उक्त बाढ़ से ग्रस्त जनता की राहत के लिए दान किए गए या नकद रूप में दिए गए दान में से खरीदे गए सूती कपड़े (जिसे इसमें इसके पश्चात माल कहा गया है) और माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कपास के सूत को उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से, एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु कि—

(क) माल के विनिर्माता द्वारा सुसंगत निकासी दस्तावेजों पर प्रमाणित किया जाए कि माल, धर्म, मूलवंश या जाति या उनमें से किसी के आधार पर विभेद किए बिना उक्त बिहार राज्य में बाढ़ग्रस्त जनता की राहत के लिए दान किए जाने के लिए आशयित है और निःशुल्क तथा उसके लिए बिना कोई प्रभार के वितरित किया जाता है ;

(ख) माल, विनिर्माण के कारखाने से कांग्रेस फंड रिलीफ कमेटी पटना, या गवर्नर्स बिहार रिलीफ कमेटी को सीधे भेजा जाए, और

(ग) विनिर्माता, कारखाने के केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क भारसाधक अधिकारी के समक्ष कारखाने से माल हटाने की तारीख से दो मास या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो कलक्टर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, अनुज्ञात करे उक्त बिहार राज्य के जिला कलक्टर या उपायुक्त से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि माल, धर्म, मूलवंश या जाति या उनमें से किसी के आधार पर विभेद किए बिना, उक्त बिहार राज्य में बाढ़ग्रस्त जनता को निःशुल्क और उसके लिए कोई प्रभार लिए बिना वितरित किया गया है ।

[सं० 176/71]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971